भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

आरजीपी की 418वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला कॉन्फ्रेंस हॉल, एनएमए

दिनांक एवं समय- 14 दिसंबर, दोपहर 03:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएमए- *बैठक की अध्यक्षता*
2. श्री हेमराज आर. कामदार, पीटीएम, एनएमए, (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
3. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए

<u>कार्यसूची 01</u>

417वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>कार्यसूची 02</u>

<u>मामला संख्या: 01</u>

(श्रीमती राजी और श्रीमती निधि जैन, भूखंड संख्या 25, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली-110065) आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस मामले को खारिज करने का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक ने स्व-घोषणा पत्र जमा नहीं किया है। आवेदक पूर्ण एवं सही दस्तावेजों के साथ विधिवत नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या: 02

(श्रीमती पुष्प लता एवं अन्य, भूखंड संख्या 200, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले को खारिज करने का निर्णय लिया और आवेदक को वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी बिल्डिंग योजना को फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या: 03

(श्रीमती राजी दुआ, श्रीमती अंजू बाला, श्री शरद कथूरिया, श्री विंकल, श्री हरदीप सिंह मेहता, श्री मानव कथूरिया, उनके जीपीए श्री शरद कथूरिया, भूखंड संख्या 253, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली-110065 के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को खारिज करने का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I/फॉर्म-II में, छह मालिकों के नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, केवल एक ही मालिक है जिसका नाम श्रीमती राजी दुआ है।.

ख) भवन योजना में, प्रस्तावित निर्माण के तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

ग) भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाई गई है।

सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या: 04

(श्री नरिंदर कुमार कोहली, श्री वीरेंद्र कुमार कोहली और श्री राजिंदर कुमार कोहली, डी-195, साकेत, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में डी-195, साकेत, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 156.75 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 3.45 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम

प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 05

(श्री अरविंद शर्मा और श्रीमती रामकन्या अपने जीपीए श्री मंदीप छतवाल और श्री अमित गुप्ता के माध्यम से और आगे श्री अमित गुप्ता श्री मंदीप छतवाल, 40, आनंद लोक, नई दिल्ली के जीपीए के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण स्थल के मालिक के रूप में आवेदक यानी श्री अमित गुप्ता को स्थापित करने वाले संपत्ति दस्तावेजों को फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या: 06

(श्री मय्यंक जैन, श्रीमती रजनी जे. जैन, श्रीमती अनीता गर्ग, श्री मोहन लाल, राजीव चंद्र रस्तोगी और श्रीमती पुष्पा राक्यान की पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, भूखंड संख्या 55, आनंद लोक (सीएचबीएस लिमिटेड), नई दिल्ली- 110049)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या 55, आनंद लोक (सीएचबीएस लिमिटेड), नई दिल्ली -110049 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 381.80 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 4.80 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 07

(श्री मृत्युंजय डे, पुत्र फेलुराम डे जनता, बिष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल- 722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में 22334, 22335, बिष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल – 722122 में 08.65 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली,

पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 194.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के अतिरिक्त/परिवर्तन की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 08

(मैसर्स ए1 इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व अरुण कुमार चौधरी, निदेशक, अस्का रोड, बेरहामपुर जिला- गंजाम, ओडिशा द्वारा किया गया)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 16.70 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) मेसर्स ए1 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड का बोर्ड संकल्प श्री अरुण कुमार चौधरी को आवेदन प्रस्तुत करने/ स्व-घोषणा पत्र के लिए अधिकृत करता है। और इन्हे संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 09

(श्री महेश प्रसाद साहू और श्री अनंत प्रसाद साहू, कृष्णापुर, डाकघर- गोबिंदपुर, वाया- पिपिली, जिला- पुरी, ओडिशा- 752104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या 248/1705, उप भूखंड संख्या 154, खाता नंबर 353/1651, मौजा- नुआगांव, भुवनेश्वर, जिला- खोरधा, राज्य- ओडिशा में 08.85 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 148.88 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 10

(श्री कृष्ण चंद्र भट्ट, प्लॉट नंबर 19, एससीआर, बापूजी नगर, जन पथ भुवनेश्वर, जिला - खोरधा, ओडिशा- 751009)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या 598/4427, खाता नंबर 1556/1576 और भूखंड संख्या 599/4428, खाता नंबर 994/1304, मौजा - भुवनेश्वर सहार यूनिट- 27, भुवनेश्वर, जिला-खोरधा, राज्य-ओडिशा में 07.30 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 150.0197 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 11

(श्रीमती शोभा, नीर बीडिकेरे, हिरियांगडी, करकला तालुक, जिला - उडुपी, कर्नाटक-574104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में आर.एस. नंबर 198/*/51, खाता संख्या 19-18-109, हिरियांगडी, करकला कस्बा, करकला तालुक, जिला - उडुपी, कर्नाटक-574104 में 04.91 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=91.63 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 12

(श्री वेंकटेश. के. मेलप्पा और श्रीमती दीनामणि वेंकटेश, फ्लैट नंबर 301, सुवर्णा निवास, कादरी, कंबला रोड, कादरी, मैंगलोर, दक्षिणा, जिला-कन्ननदा कर्नाटक-575001)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में टी.एस. नंबर 667, मैंगलोर थोटा गांव, मैंगलोर में 08.81 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम,

जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल + हेड रूम के साथ जीएफ = 176.29 वर्गमीटर, 1 एफ = 179.26 वर्गमीटर, हेडरूम (एसएफ) = 18.79 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए ।

मामला संख्या: 13

(श्री शरद पडवलकर, बिल्डिंग नंबर ई4, फ्लैट जी2, नावेलकर एस्टेट को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बैंगुइनिम, इलहास, तिस्वाड़ी-गोवा)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या 2, क्र.सं. 142/1 (पी), एला गांव, तिस्वाडी, तालुका-गोवा 11.67 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 119.436 वर्गमीटर, 1एफ = 148.658 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय-सह-वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गोवा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए

मामला संख्या: 14

(श्री शशि राज, वार्ड नंबर 1, पोरियन मोहल्ला, डाकघर एवं तह. सुजानपुर, जिला-हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176110)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले को वापस भेजने का फैसला किया और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए 09.25 मीटर (सब मिलाकर) तक की ऊंचाई को सीमित करते हुए और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव को फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या: 15

(श्री संजीव मल्लिकार्जुन चावर, होनावाद पोस्ट, टिकोटा तालुक, जिला-विजयपुरा, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले को वापस भेजने का फैसला किया और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए 07.50 मीटर (सब मिलाकर) तक की ऊंचाई को सीमित करते हुए और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव को फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या: 16

(श्री मल्लिकार्जुन कन्नोली पुत्र बलप्पा कन्नोली, आईबी इंजीनियर और बिल्डर्स, जलानगर, हुडको, विजयपुरा, काशीमसाब भोजार, बीडीए कार्यालय के पीछे, विवेक नगर, जलनगर, जिला-विजयपुर कर्नाटक-586109)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा पत्र में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता नहीं था। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 17

(श्री एसएम अरविंद कुमार और श्री पवन सकलेचा, सुंदरवरधराज पेरुमल सन्नथी स्ट्रीट, उथिरामेरुर टाउन और तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में क्रमांक 1559/27, उथिरामेरूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 11.74 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ (वाणिज्यिक) = 179.00 वर्गमीटर, 1एफ(आवासीय)= 248.00 वर्गमीटर, 2एफ (आवासीय)= 169.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 18

(श्रीमती उषा सदगोपन, 23/2, थुक्करम बजनई कोविल स्ट्रीट, फ़िल्टर बेड रोड, वेल्लोर नगर निगम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में 1703/3, फिल्टरबेड रोड, वेल्लोर, तमिलनाडु में 09.44 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 1एफ = 2एफ = 170.75 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 19

(श्री टी मुथुगनेश, 104/75, मलप्पुरम स्ट्रीट, श्रीविल्लीपुत्तूर - 626125, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में 2361, श्रीविल्लीपुत्तूर, विरुधुनगर, तमिलनाडु में 09.14 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 36.25 वर्ग मीटर, खुली जगह क्षेत्र = 15.05 वर्ग मीटर, 1 एफ = 33.37 वर्ग मीटर, खुली जगह = 17.93 वर्गमीटर, 2एफ = 33.37 वर्गमीटर, खुली जगह = 17.93 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 20

(श्री एस. करुणाकरन, नंबर 3/11, थॉमस स्ट्रीट, कडापेरी, तांबरम, चेन्नई 600045, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में क्रमांक: 159/12बी और 159/13बी, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 09.39 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ

= 72.03 वर्गमीटर, मुख्य कक्ष क्षेत्र = 09.57 वर्गमीटर चारदीवारी = 01.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(श्री ई शिव शंकर कुमार, नंबर: 2/1, एलआईसी कॉलोनी, शंकर पलायम, वेल्लोर - 632001, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में 607/4बी, मदंबक्कम तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 07.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 108.70 वर्गमीटर, चारदीवारी = 01.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 22

(श्री रामभाई भगतभाई केशवाला और श्री निखिल रामभाई केशवाला, "निखिल", रान्डल माताजी मंदिर के पास, चोपाटी ग्राउंड, पोरबंदर-360575, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में सी.एस. संख्या. 3339, 3340 और 3341, वार्ड-I, भाटिया बाजार, पोरबंदर, गुजरात में 07.49 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 52.97 वर्गमीटर, 1एफ = 61.00 वर्गमीटर, 2एफ = 45.68 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 23

(श्री भीमसेन पांडुरंग जाधव, श्री कौस्तुभ बबन हगवणे और श्री ऋतुराज बबन हगवन, डी401, डीएसके चंद्रदीप, मुकुंद नगर, पुणे-411037, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में गैट नंबर 24 पर (पुराना सर्वे नंबर, मालीवाड़ा, मावल, पुणे, महाराष्ट्र) में A-06.85 मीटर, B-03.95 मीटर, C-03.95 मीटर, D-03.95 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ ए-रेस्तरां -जीएफ, बी-सिंगल रूम (08 संख्या)-जीएफ, सी - ट्विन बंगला (02 संख्या) -जीएफ, डी-बंगला (06 संख्या) - जीएफ के साथ ए-रेस्तरां -120 वर्गमीटर (01 वर्गमीटर), बी-सिंगल रूम (08 वर्गमीटर)-190.96 वर्गमीटर, सी-ट्विन बंगला (02 वर्गमीटर) - 231.12 वर्गमीटर, डी-बंगला (06 वर्गमीटर) - 720.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन (विभिन्न दूरी पर बंगले) के निर्माण के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 24

(श्री हुसैन आमद पठान, श्री राहुल नरेश अग्रवाल, श्री सचिन अशोक अग्रवाल और श्री आशीष शाम अग्रवाल , महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में सीटीएस, नंबर 425/बी, शनिवार पेठ, पुणे – 411030 महाराष्ट्र में 24.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ भूतल + 7 मंजिलों के साथ ग्राउंड/पार्किंग = 182.88 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 6एफ = 7एफ = 162.24 वर्गमीटर, लिफ्ट पिट - जमीनी स्तर से 01.50 मीटर नीचे के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र

की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 25

(श्रीमती कविता बंसल, पत्नी सतीश बंसल, मकान नंबर 109/3, बरवाला रोड, अग्निहोत्री अस्पताल के पास, तायल गार्डन, हिसार, हरियाणा-125001)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में संपत्ति आईडी संख्या P01701830013, तायल गार्डन, हिसार, हरियाणा में 0 7.49 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 51.96 वर्गमीटर, 1एफ = 51.96 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 26

(श्री श्याम नारायण, ई6, यूको हाउस, 1/1 अलीपुर एवेन्यू, कोलकाता-700027, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में 1ए, आनंदीलाल पोद्दार सारणी, 1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700071 में 14.25 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 306.232 वर्गमीटर (मौजूदा) + 97.967 वर्गमीटर, (प्रोप) 1F= 169.444 वर्गमीटर (मौजूदा) + 10.664 वर्गमीटर (प्रोप) के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के अतिरिक्त/परिवर्तन के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 27

(श्री बैजू सीबी, चनादिक्कल हाउस, अवित्तथुर पीओ, त्रिशूर - 680683, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में क्रमांक संख्या 623/3-14, वार्ड संख्या 07, गांव- कडुपासेरी, तालुक- मुकुंदपुरम, पंचयाथ- वेलुक्कारा, जिला- त्रिशूर में 07.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 160.58 वर्गमीटर, 1 एफ = 202.98 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 28

(श्री यूसुफ, चांगलथ हाउस, कनुवन्नूर, पीओ, पुथनथोडु, त्रिशूर- 680711, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में क्रमांक संख्या 374/4-1, वार्ड नंबर IX, चेरपू, त्रिशूर में 06.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 101.18 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। जो कि एफ नंबर 2- 23/1551/2023-एनओसी/ के तहत जारी की गई अपनी पिछली सिफारिश का स्थान लेगी। एनएमए दिनांक 29.08.2023. सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए ।

मामला संख्या: 29

(श्रीमती मंजुला पत्नी नागलिंगप्पा, कलम्मा मंदिर के पास, महारानी कॉलेज के पीछे, कामना भावी बडावने, चित्रदुर्ग जिला-577501, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में साइट संख्या 8 पर, कथा संख्या 2384/2384/08, संपत्ति संख्या 2-3-534- 205, कोटे रोड, कामनाभवी बडावणे, चित्रदुर्ग में 07.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि

सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 70.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए

मामला संख्या: 30

(श्री डाकमर्री शंकर राव पुत्र डी. लोवराजू, डी.नं.1-239/3, टीचर्स कॉलोनी, रायुडुपालेम, काकीनाडा ग्रामीण, आंध्र प्रदेश-533005)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 07.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) किए जाने वाले कार्य का विस्तृत दायरा फॉर्म-I/फॉर्म-II में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

ग) फॉर्म- I और भवन योजना में यथा उल्लिखित प्रस्तावित भवन की ऊंचाई में बेमेलता है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या: 31

(श्रीमती मनिंदर गोइंदी, बी-108, नीति बाग, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या बी-108, नीति बाग, नई दिल्ली-110049 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 2 मंजिलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 281.47 वर्गमीटर, 2एफ = 266.02 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 3.45 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों

का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 32

(श्री मनोज कुमार जैन और श्री निखिल जैन, प्लॉट नंबर 4249, 4250, 4251 और 4248/2 (भाग) प्राइवेट नंबर 2/9, वार्ड नंबर XI, अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली में स्थित)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को खारिज करने का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I और फॉर्म-II में केवल एक ही आवेदक का नाम अंकित है। हालाँकि, संपत्ति दस्तावेज़ के अनुसार, यह संयुक्त स्वामित्व में है।

ख) संपत्ति दस्तावेज़ के अनुसार, आवेदक अपने भाई के साथ संपत्ति के उत्तरी हिस्से का मालिक है, जबकि एक अन्य मालिक संपत्ति के दक्षिणी हिस्से का मालिक है, जिसने अनुमति देने के लिए आवेदन नहीं किया है।

ग) भवन योजना में ऊंचाई बेमेलता है क्योंकि लिफ्ट कक्ष की ऊंचाई भवन योजना में इंगित नहीं की गई है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावित भवन की सर्व-समावेशी ऊंचाई 17.97 मीटर (सब मिलाकर) से अधिक है।

सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या: 33

(श्री अनिल ठाकुर एवं श्रीमती सरला ठाकुर, मकान नंबर ए-64, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने इस मामले में भूखंड संख्या 64, ब्लॉक-ए, एन.डी.एस.ई., भाग-1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस संरचना, टैरेस गार्डन आदि सहित) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 125.39

वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 02.90 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 34</u>

(श्री मालोजीराजे छत्रपति माननीय सचिव, अखिल भारतीय श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी 55-56, शिवाजी नगर, पुणे 411005, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया और आवेदक से विरासत प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) रिपोर्ट जमा करने को कहा, चूंकि प्रस्तावित निर्माण का निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गमीटर से अधिक है। आवेदक उक्त अवलोकन का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या: 35</u>

(नील जॉन रुमाओ, 302, तीसरी मंजिल, सिल्वर पर्ल वाटर फाइल्ड रोड, बांद्रा (डब्ल्यूओ, मुंबई - 400050, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) साइट प्लान जमा करना अपेक्षित है.

ख) संपत्ति के दस्तावेज जमा करने होंगे जो 01 नवंबर 2023 को हुई 412 वीं बैठक में मांगे गए थे।

आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से आवेदक के नाम पर संपत्ति दस्तावेज और प्रस्तावित निर्माण की साइट योजना फिर से जमा करनी होगी।